

ग्राम पंचायत खमाड़ी, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला
के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016

1 प्रस्तावना

(क) 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व , स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग , हि. प्र. , को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत खमाड़ी, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:-

प्रधान		
क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री मति अनारक्ली	1.4.2013 से 22.01.2016
2	श्री मति कल्पा मेहता	23.01.2016 से लगातार
सचिव		
क्रम संख्या	नाम	अवधि
1	श्री सतपाल सिंह	1.4.2013 से लगातार

(ख) **गम्भीर अनियमितता का सार:-** ग्राम पंचायत खमाड़ी के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	पैरा संख्या	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि लाखों में
1	6	पंचायत के खाता "ख" से अर्जित ब्याज की राशि को खाता "क" में अन्तरित न किया जाना	0.04
2	10	दिनांक 31.03.2016 तक पंचायत राजस्व की राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.44
3	11	दिनांक 31.03.2016 तक अनुदानों का उपयोग न किया जाना	10.23
4	12	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही अनियमित व्यय करना	3.83

5	13	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना	1.60
6	14	क्रय किए गए स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टि न किया जाना	1.84
7	16	अग्रिम राशि का समायोजन न किया जाना	0.60

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत खमाड़ी, विकास खण्ड ठियोग, जिला शिमला के अवधि 1/4/2013 से 31/3/2016 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण, श्री अनिल शर्मा, अनुभाग अधिकारी एवं श्री रविन्द्र सिंह, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 21.11.2011 से 26.11.2016 के दौरान ग्राम पंचायत खमाड़ी में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

वर्ष	आय	व्यय
2013-14	05/2013	03/2014
2014-15	09/2014	08/2014
2015-16	03/2016	05/2015

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि.प्र. उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत खमाड़ी, विकास खण्ड ननखरी, जिला शिमला के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि. प्र. शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अध्याचना संख्या 284 /2016 दिनांक 25.11.2016 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत, खमाड़ी से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थिति

सचिव, ग्राम पंचायत खमाड़ी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार MG NREGA और स्वः स्रोत की आय/व्यय को अलग रोकड़ बही में लेखांकित किया गया है तथा साथ ही बैंक खातों

में तदानुसार जमा करवाया गया है। ग्राम पंचायत के अवधि 4/2013 से 3/2016 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण संलग्न “परिशिष्ट- 1” पर दिया गया है।

5 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना

ग्राम पंचायत खमाड़ी की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान बैंक समाधान विवरण तैयार नहीं किया गया है जबकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाना था। अतः पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरण तैयार न करना नियमों के विपरीत होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये पंचायत की रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत के खाता “ख” से अर्जित ब्याज ₹0.04 लाख की राशि को खाता “क” में अन्तरित न किया जाना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) के अनुसार प्रतिवर्ष माह जनवरी तथा जुलाई में पंचायत द्वारा खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को पंचायत निधि के स्वः संसाधनों के खाता “क” में अन्तरित किया जाना अपेक्षित हैं। परन्तु अंकेक्षण में पंचायत के खातों की पड़ताल करने पर पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹3810 को खाता “क” में अन्तरित नहीं किया गया था। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये, खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि को खाता “क” में अन्तरित प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

अवधि 04/2013 से 03/2016 के दौरान खाता “ख” में जमा राशि पर अर्जित ब्याज की राशि का विवरण

Year	Name of GIA	Amount of Interest Earned
2013-14	MG Nerga	1702.00
2014-15	MG Nerga	1874.00
2015-16	MG Nerga	234.00
Total		3810.00

7 प्राप्त आय की ₹0.11 लाख को संबन्धित बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर व्यय किए जाने बारे

नियमानुसार सर्वप्रथम प्राप्त आय को पंचायत के बैंक खाते में जमा किया जाना और उसके उपरांत विभिन्न व्ययों हेतु बैंक खाते से राशि का भुगतान किया जाना अपेक्षित था।

अंकेक्षण में आय की जाँच करने पर पाया गया कि विभिन्न कार्य दिवसों को ₹17300/- की आय विभिन्न आय शीर्षकों के अंतर्गत प्राप्त की गई थी, इस प्राप्त राशि में से पंचायत द्वारा ₹11405/- को पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाए बिना ही सीधे तौर पर विभिन्न व्ययों का भुगतान करने हेतु प्रयोग किया गया था। ऐसे सभी व्ययों का विवरण निम्न निम्न प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार आय को सीधे तौर पर व्यय करना अपने आप में एक वित्तीय अनियमितता है। अतः इस अनियमितता बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा साथ ही भविष्य में प्राप्त आय को सर्वप्रथम पंचायत के बैंक खाते में जमा करके उसके उपरांत ही इसे भुगतान हेतु प्रयोग में लाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Type of Receipt	Date	Amount	Type of Expenditure	Amount of Expenditure
विभिन्न	6-8-2013	4100	विभिन्न व्यय	3000
प्राप्तियाँ	24-6-2014	4000	विभिन्न व्यय	2250
	17-8-2013	5300	विभिन्न व्यय	3835
	11-6-2015	3900	विभिन्न व्यय	2320
Total		17300		11405

8. बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म-11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन केवल मात्र ग्राम पंचायत की कार्यवाही पुस्तिका (Minutes Book of Gram Panchayat) में तैयार किया गया था एवं पंचायत के कार्यवाही रजिस्टर में पंचायत का अनुमोदन लेकर ही इसे पारित करवाया गया था। इस प्रकार सचिव द्वारा निर्धारित फार्म-11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किए जाए

9. निर्धारित सीमा से अधिक नकद राशि का रखना

पंचायत की रोकड़ बहियों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट -2** में दिये गए विवरणानुसार नकद राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था, जोकि हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10(3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

10. पंचायत राजस्व की ₹0.44 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना

पंचायत की स्व स्रोतों से प्राप्त आय का संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **परिशिष्ट-3** में दिये गए विवरणानुसार दिनांक 31.03.2016 तक राजस्व ₹0.44 लाख वसूली हेतु शेष थी। अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

11. अनुदान की ₹ 10.23 लाख का उपयोग न करना

पंचायत द्वारा अनुदानों और स्वः स्रोतों के सम्बन्ध में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹1022695/- उपयोग हेतु शेष थे। विवरण **परिशिष्ट-4** पर दिया गया है। अतः अनुदानों की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदानों के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापण संबन्धित संस्था को किया जाए।

12 निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किए बिना ही ₹3.83 लाख का अनियमित व्यय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 से अधिक के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से संबन्धित व्यय वाऊचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **“परिशिष्ट-5”** में दिये गए विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹382802/- का व्यय प्रशासनिक अनुमोदन व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया , जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किए गए व्यय की वसूली उचित स्रोत से करने के उपरांत अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹1.60 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं। व्यय वाऊचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि **“परिशिष्ट-6”** में दिये गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा

₹159940/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14 क्रय किए गए ₹1.84 लाख के स्थाई एवं अस्थायी भण्डार की भंडारण पुस्तकों में प्रविष्टियां न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 72(1)(a,b,c एवं d) के अंतर्गत पंचायत द्वारा क्रय किए गए भण्डार की प्रविष्टि को उसकी स्थाई एवं अस्थायी प्रकृति के अनुरूप फार्म 25,26,27 एवं 28 में लेखांकन किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण में विभिन्न क्रय की गई सामग्री की जाँच करने में पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान क्रय की गई 184440/- की विभिन्न मदों, जिनका विवरण “परिशिष्ट-7” में दिया गया है, को क्रय करने के उपरांत प्रविष्टि को भण्डार पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

15 (क) मानदेय के रूप में ₹0.02 लाख का अधिक भुगतान

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 62(2) के अंतर्गत ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थिति के बदले में मानदेय का भुगतान किया जायेगा, यदि कोई निर्वाचित सदस्य ग्राम पंचायत की सभा में उपस्थित नहीं होता तो उसे उस सभा के लिए मानदेय का भुगतान नहीं किया जायेगा। अंकेक्षण अवधि के दौरान निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय भुगतान और ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर (Minutes Register) की जाँच करने पर पाया गया कि निम्न मामलों में निर्वाचित सदस्यों को मानदेय का ₹1925/- का अधिक भुगतान किया गया था। (विवरण निम्न दिया गया है)। अतः बिना सभा में उपस्थिति के निर्वाचित सदस्यों को किए गए मानदेय के भुगतान को न्यायोचित ठहराया जाए। अन्यथा भुगतान की गई मानदेय की राशि की वसूली उचित माध्यम से की जानी सुनिश्चित की जाए।

Name Of Ward Member to Whom Amount Paid.	Date of Meeting For which Amount Paid	Amount paid	Remarks
श्री देविंदर सिंह	7-12-2013	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री मति अंजु देवी	7-1-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री जमोतरा	7-1-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे

श्री मोहिंदर सिंह	4-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री देविंदर सिंह	4-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री मति अंजु देवी	4-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री मति जुंगी देवी देवी	4-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री मोहिंदर सिंह	23-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री देविंदर सिंह	23-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री मति अंजु देवी	23-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
श्री मति जुंगी देवी देवी	23-3-2014	175.00	वार्ड सदस्य सभा में उपस्थित नहीं थे
कुल राशि		1925.00	

16. अस्थाई अग्रिमों ₹0.60 लाख का समायोजन न करना

व्यय वाउचरों की जाँच में पाया गया कि पंचायत के पदाधिकारियों को विभिन्न प्रयोजनों को कार्यान्वित करने हेतु हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 30 के अनुसार अस्थाई अग्रिम की राशियों का भुगतान किया गया था। नियमानुसार प्रयोजन के पूर्ण होने के तुरंत बाद अग्रिमों का समायोजन किया जाना अपेक्षित था, लेकिन **परिशिष्ट -8** में दिये गए विवरणानुसार अस्थाई अग्रिमों के समायोजन हेतु उचित कार्यवाई न करने के कारण दिनांक 31.03.2016 तक कुल ₹600000/- के अस्थाई अग्रिम की राशि समायोजन हेतु शेष थे। इस प्रकार अस्थाई अग्रिमों का समय पर समायोजन न करवाने के कारण राशि के अस्थाई दुर्विनियोजन की संभावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः अस्थाई अग्रिमों को समय पर समायोजित न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इन राशियों का यथाशीघ्र समायोजन किया जाए।

17. अनियमित व्यय

वाउचर संख्या 82 दिनांक 23.02.2015 ₹10000/-

उपरोक्त व्यय वाउचर के माध्यम से ₹10000/- की राशि का भुगतान सचिव ,ग्राम स्वास्थ्य समिति खमाड़ी को “ Total Health Campaign” हेतु किया गया था। अंकेक्षण में उपलब्ध अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि इस भुगतान के बदले में उपरोक्त वर्णित समिति के प्रधान/सचिव से भुगतान प्राप्ति की कोई रसीद/पावती अभिलेखों में उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त इस भुगतान के एवज में समिति से वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया था। भुगतान प्राप्ति की रसीद/पावती उपलब्ध न होने के कारण इस भुगतान की सत्यता की पूर्ण जांच नहीं की जा सकी , साथ ही वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने से यह संदेह प्रतीत होता है कि क्या वास्तव में इस राशि का उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया गया है जिसके लिए यह राशि प्राप्त की गई थी।

अतः भुगतान के बदले भुगतान प्राप्ति की रसीद/पावती प्राप्त न करने एवं वर्तमान समय तक उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने को न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस राशि की वसूली संबन्धित समिति से की जानी सुनिश्चित की जाए।

18. विहित रजिस्ट्रों का रख-रखाव न करना

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्ट्रों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था , जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्ट्रों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक बैंक समाधान विवरणी		15(1)
5	क्लासीफाइड एबस्ट्रैक्ट (Classified Abstract)	8	29(4)
6	किराया माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
7	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
8	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
9	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 एवं 26	72(1) (a&b)
10	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापन

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है , परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत प्रधान द्वारा भण्डार का

नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 विविध अनियमितताएँ

(क) (i) रोकड़ बही का लेखांकन नियमानुसार न किया जाना

ग्राम पंचायत खमाड़ी द्वारा हि.प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 से 3) के अनुसार वर्ष के अंत में रोकड़ बही में हस्तगत राशि के साथ संबन्धित बैंक खातों का कोई विवरण नहीं दिया गया था। अतः सभी रोकड़ बहियों का निर्माण उपरोक्त वर्णित नियम 7 के अनुसार न किए बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ii) उपरोक्त के अतिरिक्त MG Narega GIA से संबन्धित रोकड़ बही को अवधि 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान प्रधान ग्राम पंचायत खमाड़ी द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। अतः इस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ख) हि. प्र. पंचायती राज (वित्त बजट लेखे ,संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29(4) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी समस्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म -8 पर Classified Abstract का निर्माण किया जाना अनिवार्य था , परंतु सचिव ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त आय व्यय के वर्गीकरण हेतु फार्म-8 पर Classified Abstract का निर्माण नहीं किया गया था। Classified Abstract का निर्माण न किए जाने के कारण अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त आय और किए गए व्यय को बजट प्रावधानों के साथ मिलान नहीं किया जा सका। अतः नियम 29(4) के अनुसार Classified Abstract का निर्माण न किए जाने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति (Participatory Committee) बनाए जाने का प्रावधान है। सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा सूचित किया

गया कि अवधि 4/2013 से 3/2016 के दौरान इस प्रकार की कोई समिति ग्राम पंचायत खमाड़ी द्वारा नहीं बनाई गई थी। अतः 93(ए)(1) के अंतर्गत प्रतिभागी समिति न बनाने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा इस समिति का गठन यथाशीघ्र किया जाए।

21. लघु आपति विवरणिका :- लघु आपति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है, लघु आपतियों का निपटारा अंकेक्षण के दौरान कर लिया गया।

22. निष्कर्ष:- लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता /—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्या:- फिन(एल0ए0)एच(पंच)XV(1) 46/2016—खण्ड—1—1384—1387 दिनांक: 07.03.2017
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- पंजीकृत**
- 1 सचिव, ग्राम पंचायत खमाड़ी, विकास खण्ड ननखरी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
 - 2 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
 - 3 जिला पंचायत अधिकारी, शिमला, जिला शिमला, हि0प्र0
 - 4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड ननखरी, तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0प्र0

हस्ता /—
(सतपाल सिंह)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.